राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
(Phone & Fax-2222403/2223239 Web-www.lsgraj.org Email ID-dlbrajasthan@gmail.com)

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 1070-1265 दिनांकः 01/10/2020

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / परिषद् / पालिका,
समस्त।

विषयः–जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध वर्ष 2019–20 में प्राप्त राशि में से जल संरक्षण कार्यों हेतु उपयोग के लिए एजेण्डा।

सन्दर्भः–1. शासन सचिव, वित्त (बजट) का अ.शा.टीप क्रमांक प.9(1) वित्त / व्यय–3 / 2016 दिनांक 04.09.2020
2. वित्त (कर) विभाग का आदेश क्रमांक 101 दिनांक 18.11.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत बिन्दु सं. 1 पर संदर्भित पत्र के माध्यम से शासन सचिव, वित्त (बजट) द्वारा अवगत कराया गया है कि, जल संरक्षण उपकर समिति की बैठक शीघ्र ही आयोजित की जानी है। इस बैठक हेतु वर्ष 2019–20 में जल संरक्षण उपकर के विरूद्ध प्राप्त राशि में से जल संरक्षण के कार्यों हेतु एजेण्डा वित्त (व्यय–3) को भिजवाया जाना है, ताकि निधि में उपलब्ध राशि के उपयोग हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपनी नगरीय निकाय में बिन्दु सं. (2) पर संदर्भित आदेश क्रमांक के दिशा–निर्देश क्रमांक (8) में वर्णित जल संरक्षण संबंधी कार्यों जैसे अनुपयोगी भूमि पर वृक्षारोपण तथा जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण आदि के कराए जा सकने वाले तकनीकी एवं प्रशासनिक दृष्टि से संभव नवीन कार्यों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर ई–मेल के माध्यम से cedlbjp@gmail.com पर 3 दिवस में प्रेषित करें।

इसे अत्यावश्यक समझे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांकःएफ.55( )पीए / सीई / डीएलबी / डब्ल्यूएस(सामान्य) / 2020 / 1266-1310 दिनांकः 01/10/2020

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. जिला कलक्टर (समस्त), राजस्थान।
4. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. प्रोग्रामर (आई. टी. प्रकोष्ठ), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

1/x/2020
अति.मुख्य अभियंता

जल संरक्षण उपकर की निधि से वर्ष 2020–21 में कराए जा सकने वाले कार्यों का विवरण

क्र. सं.	संभाग	नगरीय निकाय	कार्य का नाम	कार्य का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत (राशि रू. लाख में)

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम / परिषद् / पालिका

....